



UPSI180000192025

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद, सीतापुर।

दीवानी वाद संख्या-10/2025

वादी	वीरेन्द्र कुमार आदि	बनाम	चन्द्रभाल।
वाद की प्रकृति	स्थायी निषेधाज्ञा		
वाद का मूल्यांकन	3000/-रुपये		
अधिवक्ता का नाम	श्री सुशील तिवारी		
वाद प्रस्तुत किये जाने की तिथि	06.01.2025		

यह वाद-पत्र वादीगण द्वारा वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील तिवारी द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुन्सरिम आख्यानानुसार वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है, तदनुसार न्यायशुल्क अदा है। अतः वाद मूलवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादी को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना-पत्र-6 ग 2/लिखित उत्तर/विरचन वादबिन्दु दिनांक-11.02.2025 को पेश हो।

(रंजीत कुमार जायसवाल)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।

निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6 ग 2

वादीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र 6 ग 2 मय शपथ पत्र 7 ग 2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर वादीय अहाता जिसे वाद-पत्र के संलग्न नक्शा-नजरी में अक्षर ए, बी, सी, डी, से प्रदर्शित किया गया है, जोकि स्थित ग्राम नरापुर, परगना सदरपुर, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर के किसी अंश पर कब्जा करने, निर्माण कार्य करने, उस पर स्थित वादीगण की किसी भी सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त करने एवं वादीगण के शान्तिपूर्ण स्वामित्व व प्रयोजन में किसी तरह का हस्तक्षेप करने से प्रतिवादी को मना किये जाने की याचना की गयी है।

वादीगण की ओर से अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी सूची-9 ग 1 से कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं पृथक से दो किता वादीगण के आधार कार्ड की छायाप्रति क्रमशः कागज संख्या-10 ग 1 लगायत 10 ग 1/2 दाखिल पत्रावली की गयी है।

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

कार्यालय की आख्यानानुसार प्रस्तुत मामले में कैबिण्ट दाखिल नहीं है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना प्रतिवादी को सुने प्रार्थना पत्र 6 ग 2 पर कोई भी आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। प्रतिवादी को नोटिस दिनांक-11.02.2025 हेतु जारी हो। वादीगण आवश्यक पैरवी करें। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6 ग 2/लिखित उत्तर/विरचन वादबिन्दु दिनांक-11.02.2025 को पेश हो।

(रंजीत कुमार जायसवाल)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।
J.O Code-UP3555

.....(P.T.O.)

निस्तारण प्रार्थना-पत्र 8 ग 2

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना-पत्र 8 ग 2 वास्ते कराये जाने कमीशन कार्यवाही जरिये कमिश्नर पर एकपक्षीय रूप से सुना गया। विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कराये जाने हेतु आधार पर्याप्त हैं। प्रार्थना-पत्र 8 ग 2 स्वीकार किया जाता है।

वादीगण जरिये **अमीन कमिश्नर** विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कराये जाने हेतु पैरवी अविलम्ब करें। अमीन कमिश्नर को आदेशित किया जाता है कि वे विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कर अपनी आख्या आगामी तिथि तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि अमीन कमिश्नर पर विवादित सम्पत्ति के निरीक्षण हेतु कार्यवाही अविलम्ब करे।

दिनांक:-06.01.2025

(रंजीत कुमार जायसवाल)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।
J.O.Code-UP3555

vijay/-